

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-1* *Issue-5* *December 2024*

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा एवं दशा**ध्रुव देव कुमार***सहायक प्राचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, ए०पी०एस०एम० कॉलेज बरौनी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा*

स्वतंत्रता के बाद से भारत में समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए समाज के दलित एवं पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं क्योंकि अनेक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति भी दयनीय बनी हुई थी। अतः उसमें सुधार के लिए भी प्रयास चलते रहें। पिछले कुछ दशकों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से महिला स्वयं को इस काम से संगठित करने में सक्षम हो सकती है जिससे यह अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर सके तथा विकल्पों के चयन व संसाधनों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में अपने स्वतंत्र अधिकार पर बल दे सके। सशक्तिकरण को जागरूकता व समता निर्माण की एक सहभागी प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। जिसका प्रारम्भ घरेलू व सामुदायिक स्तर पर होता है तथा जो वृहद स्तरीय भागेदारी, निर्णय लेने की शक्ति तथा व्यक्ति व समूह को समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सम्बन्धों के शक्ति सन्तुलन में परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने सम्बन्धी रूपांतरण या समाप्त होती है। ग्रिफिक के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की शक्ति में वृद्धि और शक्ति का अर्थ है नियंत्रण क्षमता का होना, समान नागरिक के रूप में मान्यता व सम्मान प्राप्त होना तथा उनके द्वारा किये वे सहयोग को मान्य करना। नारीवादी अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शक्तिहीन या हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति या समूह को अधीन बनाने वाले आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को बनाये रखने में सहायक विद्यमान शक्ति संबंधों को चुनौती दें और बदल दें।

सशक्तिकरण का अर्थ है शक्ति से युक्त बनाना या शक्तिशाली बनाना। सशक्त उसे बनाया जाता है जो निर्बल हो। जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाएं निर्बल हैं? यह धारणा सत्य नहीं है। इतिहास साक्षी है कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देती रही हैं। चाहे शान का क्षेत्र हो या रणभूमि, चाहे घर हो या समाज महिलाओं ने सर्वत्र अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। अतः नारी को निर्बल नहीं कहा जा सकता। मुगल शासनकाल में परिस्मृतियों के कारण महिलाएं घर की चार दीवारी तक सिमित हो गईं। इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें यह भुला दिया कि वे थी पुरुषों से कम नहीं हैं। उनमें परिवार ही नहीं राष्ट्र-निर्माण की भी अद्भुत क्षमता है। अतः महिला सशक्तिकरण का अभिभावक है— महिलाओं को उनकी क्षमताओं का अहसास कराना तथा उन्हें अनेक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि "यह औरतो को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता को नियंत्रण कर सकें। व्यापक और व्यवहारिक तौर पर यदि महिला सशक्तिकरण का अर्थ तलाशा जाए तो कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने की सम्भावनाओं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन बैंकिंग

सुविधाएँ कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण की माप करने हेतु इसके अन्तर्गत सामान्य तौर पर निम्नांकित चार तत्वों को सम्मिलित किया जाता है दृ

1. संसद/विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी का अंश।
2. प्रशासन एवं प्रबन्धन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
3. प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
4. महिलाओं की प्रतिव्यक्ति आमदनी और तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

महिला सशक्तिकरण की माप के लिए उपयुक्त चार तत्वों के अतिरिक्त अन्य समसामयिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है जैसे उनकी शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, देशाटन की सुविधा, निर्णय का अधिकार, सत्ता के साथ-साथ सम्पत्ति में पुरुषों के बराबर उनका हक आदि। इसके लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएँ चलाना शिशु कन्या का भ्रूण हत्या को कठोरतापूर्वक रोकना, महिला के नाम भी ससुराल और मायके में सम्पत्ति होना यानि कि आर्थिक रूप से उसे सशक्त बनाना नौकरियों में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान रखना, दहेज हत्या रोकना, पुत्र पैदा न होने अथवा बांझ होने पर उत्पीड़न से संरक्षण देना बाल श्रम की भाँति महिला श्रम के भी मानदण्ड तय करना, महिलाओं को परिवार नियोजन की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, मुक्त शिक्षा आदि बातें शामिल की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को श्रम महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। इससे इस वर्ष विशेष में देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को नई गति प्रदान करने का प्रयास किया गया। उनके प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनके जागरूकता और चेतना विकसित करने हेतु सार्थक प्रयास किए जाने की घोषणाएँ की गईं। श्रम महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक शराष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान समुचित विकास और समानता के लिए आधारभूत व्यवस्थाएँ निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

1971 ई० में भारत सरकार ने भारत में स्त्रियों की स्थिति की जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट श्रमता की ओर के नाम से 1974 ई० में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में स्त्रियों की स्थिति के सभी पक्षों पर विचार किया गया। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों की अवस्था सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए जिनमें मुख्य थे:—शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, वैधानिक संरक्षण, अनेक संस्थाओं की स्थापना। नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास के लिए अनेक नीतियों का संकेत है। इन नीतियों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक में विभिन्न प्रयासों के समन्वय पर बल दिया गया है। महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से महिलाओं के उत्थान हेतु कई नीतियाँ बनाई गईं जिससे उन्हें विशेष संरक्षण एवं सुरक्षा मिले। इसी प्रकार ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में देश की उन्नति के लिए महिलाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दिया गया।

वर्तमान में भारत सरकार की ओर से श्रम शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रही हैं श्रम शक्ति मिशन मोड की एक योजना है। जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। यह योजना सरकार की महिलाओं के विकास की प्रतिबद्धता को साकार रूप दे रही है। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने तक उनकी पहुँच बढ़ाकर महिला श्रम बल की भागीदारी को भी बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ भी हैं— संबल और सामर्थ्य। जहाँ संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूर्ववर्ती योजनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं

लौंगिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसमर्थ्य उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ भागामिल किया गया है। इसके अलावा कामकाजी माताओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट आईसीडीएस के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मौजूदा योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ ग्रंथ—

1. डॉ० रेणु दिवान (स०) आंदोलन की महिलाएं, एजुकेशनल बुक सर्विस, प्रथम संस्करण 2011 नई दिल्ली।
2. डॉ० सुषमा कुमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहारी महिलाएं, जानकी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2020, पटना।
3. डॉ० सुषमा सिन्हा बिहार में जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण, जानकी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2012, पटना।
4. आर० सी० मजुमदार एवं ए०डी० पुष्कर भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति भारतीय विद्या भवन, 1951, बाम्बे।
5. डॉ० सीमा राजस्थान में महिला शिक्षा का योगदान राजनीतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, रिसर्च इंडिया प्रेस, प्रथम संस्करण 2019, नई दिल्ली।

Cite this Article-

"धुव्र देव कुमार", 'भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा एवं दशा' Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:05, December 2024.

Journal URL- <https://www.researchvidyapith.com/>

DOI- 10.70650/rvimj.2024v1i50018

Published Date- 16 December 2024